भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4210
20 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

ईसीएचएस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल

4210. श्री एम. के. राघवन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि ईसीएचएस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी उचित सेवाओं से वंचित कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ईसीएचएस के अंतर्गत पैनल में शामिल अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान में किसी विलंब पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ईसीएचएस योजना में बने रहने के प्रति अस्पतालों की अनिच्छा पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पतालवार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा नाम वापस लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ईसीएचएस में अस्पतालों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ईसीएचएस योजना के अंतर्गत उनकी सेवाओं की दरों में समय-समय पर संशोधन करती है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछली बार संशोधन किए जाने के समय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): जी, नहीं।

(ख): संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा ईसीएचएस के अंतर्गत अस्पताल के दावों का निपटान सक्षम वित्तीय प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग पोर्टल के

माध्यम से किया जाता है। दावे संसाधित करने के लिए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) के अंतर्गत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ) व्यवस्था के आधार पर स्वतः समनुदेशित होते हैं। दावों का समयबद्ध निपटान करना उन महत्त्वपूर्ण पैरामीटरों में से एक है जिनके आधार पर स्कीम के कार्य निष्पादन का आकलन किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत दावों के निपटान की स्थिति की लगातार मॉनीटरिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दावों का निपटान निर्धारित टर्नअराउंड समय के अन्दर हो सके तथा अस्पताल भी अपने दावों की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। दावों से संबंधित प्रगति की जांच करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ग): पिछले कुछ वर्षों के दौरान ईसीएचएस के अंतर्गत पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष के दौरान किसी भी अस्पताल के ईसीएचएस के अंतर्गत रहने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ): ईसीएचएस अस्पतालों की सेवाओं के लिए सीजीएचएस दरों का अनुसरण किया जाता है और इसी प्रकार जब कभी सीजीएचएस की दरों में संशोधन होता है तो उसके अनुसार ईसीएचएस अपनी दरों में भी संशोधन करता है।

(ड.): ईसीएचएस दरों में पिछली बार संशोधन परामर्श फीस, कमरे का किराया और आईसीयू प्रभारों के संबंध में किया गया था जो दिनांक 12.04.2023 से प्रभावी है जबकि कुछ उपचार/प्रक्रियाओं को जोड़ने के अलावा कुछ इमेजिंग सेवाओं, सामान्य सर्जरी की दरों में संशोधन दिनांक 1.2.2024 से किया गया है। सभी संशोधनों का ब्योरा ईसीएचएस की वेबसाइट (https://www.echs.gov.in) और सीजीएचएस की वेबसाइट (http://cghs.nic.in) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****